संख्या-43/2017/1653/22-2-2016-17(331)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2017**

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी मैकू पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी मैकू पुत्र श्री जयराम, ग्राम किशुनपुर एच/ओ-गन्धौरी, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 08-11-1982 को सायंकाल 03-00 बजे बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे, छुरी, कुदाल, लाठी, हंसिया व अद्दधी से हमला कर विपक्षी सुभाष की गांव के बाजार में सरेआम हत्या कर दी तथा 02 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-01/1983 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,323/149,148 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-2, सीतापुर द्वारा दिनांक 07-01-1984 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-04-1993 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2016 तक 17 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 03 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दिनांक 08-11-1982 को सायंकाल 03-00 बजे बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे, छुरी, कुदाल, लाठी, हंसिया व अद्दधी से हमला कर विपक्षी सुभाष की गांव के बाजार में सरेआम हत्या करने तथा 02 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मैकू पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म'-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मैकू (बन्दी संख्या-548/1999) पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2017/1653(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-43/2017/1653@22-2-2016-17(331)/2016

दिनांक 19 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध बन्दी मैकू (बन्दी संख्या-548/1999) पुत्र श्री जयराम, ग्राम किशुनपुर एच/ओ-गन्धौरी, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 08-11-1982 को सायंकाल 03-00 बजे बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे, छुरी, कुदाल, लाठी, हंसिया व अदृधी से हमला कर विपक्षी सुभाष की गांव के बाजार में सरेआम हत्या कर दी तथा 02 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-01/1983 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,323/149,148 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-2, सीतापुर द्वारा दिनांक 07-01-1984 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-04-1993 द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.05.2016 तक 17 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 03 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दिनांक 08-11-1982 को सायंकाल 03-00 बजे बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे, छुरी, कुदाल, लाठी, हंसिया व अदृधी से हमला कर विपक्षी सुभाष की गांव के बाजार में सरेआम हत्या करने तथा 02 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मैकू पुत्र श्री जयराम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म'-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।